रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1624] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2012/श्रावण 31, 1934

No. 1624] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2012/SHRAVANA 31, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1936(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्याक का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 46.000 कि.मी. से 398.750 कि.मी. (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से बारवाड्डा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि झारखंड राज्य में चार और अधिक लेनों के उपयोग के लिए 73.450 कि.मी. की निवल सड़क खंड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट दर कहा गया है) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर 320.000 कि.मी. से 398.750 कि.मी. (गोरहार - बारवाड्डा) तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर दस करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले बाईपास के लिए डेढ़ गुना आधार दर फीस उद्‌गृहीत करती है और प्राधिकरण को या तो अपने पदधारियों के माध्यम से अथवा ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस का संग्रह करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

3156 GI/2012

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहन यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :

1. नीचे उद्गृहीत तथा संग्रहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की शुद्ध लम्बाई के लिए निम्नलिखित पथकर प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है**
346.100 कि.मी (घंघरी गांव के पास, गिरदीह जिले में)	73.450

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिनकी लागत दस करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपासों की लंबाई के लिए आधार दर के डेढ़ गुना निम्नलिखित पथकर प्लाजा में शोध्य और संदेय होगी ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**बाइपास की लम्बाई(कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**
337.200 कि.मी (हेसला गांव के पास, गिरदीह जिले में)	5.300

3. वर्ष 2012-13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात हेतु मासिक पास की दर 200.00(दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा अर्थात् :--

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्ट्रीकृत यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस प्रवर्ग के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा परंतु ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक यान , नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

7. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को दर्शित किया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, फीस की दरें वार्षिक रूप से पुनरीक्षत की जाएगी।

10. परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 419.15 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल किए गए फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए फीस की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनका वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/18/11 12/सीओ/जीसी धनबाद (320-398)]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

टिप्पण :- यह भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ 2794 (अ), तारीख 16 नवम्बर 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए है जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1936(E).—Whereas, *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, entrusted the stretch from km. 46.000 to km. 398.750 (Uttar Pradesh/Bihar Border to Barwa Adda Section) of National Highway No. 2, in the States of Bihar and Jharkhand, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 73.450 kilometer (hereinafter referred to as :base rate") for use of the four and more lane section and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 320.000 to Km 398.750, (Gorhar – Barwa Adda) on the National Highway No. 2 in the State of Jharkhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-2008 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 346.100 (near Village Ghanghri in Giridih District)	73.450

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km/Ch. 346.100 (near Village Ghanghri in Giridih District)	5.300

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 419.15 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/318/11-12/CO/GC Dhanbad (320-398)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Foot Note.—This is in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 2794(E), dated the 16th November, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

3156 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.